कार्यालय उपखण्ड अधिकारी देवली जिला टोंक

मिसल संख्या – 8/2022

निर्णय दिनांक :– 19.04.2022

उनवानी प्रार्थना पत्रः–

लाली देवी पत्नी श्री बंशीलाल जाति मीणा निवासी खेडागांवडी तहसील देवली जिला टोंक राज0

–प्रार्थी पक्ष–

बनाम

तहसीलदार देवली जिला टोंक राज0

–अप्रार्थी पक्ष–

प्रार्थना–पत्र पत्थगढी बाबत् अन्तर्गत धारा 128 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

आदेश

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है। कि आराजी खाता संख्या 60 खसरा नम्बर 873/449 रकबा 0.50, खाता संख्या 226 खसरा नम्बर 447 रकबा 0.64 है0, खाता संख्या 228 खसरा नम्बर 449 रकबा 0.23 है0 व खाता संख्या 229 खसरा नम्बर 451 रकबा 1.04 है0 ग्राम खेडागांवडी तहसील देवली जिला टोंक में स्थित भूमि है। पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार देवली की रिपोर्ट अनुसार खाता संख्या 60 खसरा नम्बर 873/449 रकबा 0.50, खाता संख्या 226 खसरा नम्बर 447 रकबा 0.64 है0, खाता संख्या 228 खसरा नम्बर 449 रकबा 0.23 है0 प्रार्थी पक्ष की खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी भूमि है तथा खाता संख्या 229 खसरा नम्बर 451 रकबा 1.04 है0 पर प्रार्थी का 1/2 हिस्सा व 1/2 हिस्सा गुलाब पत्नी गोपाल जाति मीणा के नाम दर्ज है। उक्त भूमि पर किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नही है, परन्तु पडोसी खातेदारों से विवाद होना अंकित है। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता के कथनानुसार किसी भी पडोसी खातेदार से विवाद नही है तथा विवादित खाता संख्या 229 खसरा नम्बर 451 रकबा 1.04 है0 को छोडकर शेष सभी खसरा नम्बरो की पत्थरगढी की जाने की प्रार्थना की गई।

अतः खाता संख्या 229 खसरा नम्बर 451 रकबा 1.04 है0 को छोडकर जमाबन्दी सम्वत 2073–76 में अंकित शेष आराजी खाता संख्या 60 खसरा नम्बर 873/449 रकबा 0.50, खाता संख्या 226 खसरा नम्बर 447 रकबा 0.64 है0, खाता संख्या 228 खसरा नम्बर 449 रकबा 0.23 है0 ग्राम खेडागांवडी की विधिवत् पत्थरगढी की जाने हेतु तहसीलदार देवली को मौका कमिश्नर बनाया जाता है और मौका कमिश्नर फीस 1000/– निर्धारित की जाकर एतत्द्वारा आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी से पत्थरगढी कॉस्ट राशि नियमानुसार सीमाज्ञान शुल्क जमाकर उक्तानुसार पालना की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल की जाती है

(भारत भूषण गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
देवली